

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फैजाबाद।
पत्रांक:आई.-7 / एफ.एस.(पेट्रोल पम्प) अम्बेडकरनगर / 2015
सेवा में।

दिनांक— 1-10-2015

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

विषय—

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिंग (भारत सरकार का उपक्रम) मुख्य रीजनल मैनेजर, वाराणसी रिटेल रीजन, वाराणसी के पत्र सं 0 आर.यू./एके दिनांक 16.09.2015 अकबरपुर फैजाबाद रोड 9 किमी० पर गाटा सं 0 2937,2938,2940 व 2941 स्थित भूमि ग्राम—प्रतापपुर चमुर्खा परगना—मिङ्गौड़ा, तहसील—अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर में प्रस्तावित नये पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में तथा आपके पत्रांक:528/ई.आर.के./पेट्रोल पम्प—स्थापना/अनापत्ति/2015 दिनांक 22 सितम्बर 2015 के क्रम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा स्थल का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्नवत् पाया गया—

- 1— उपरोक्त प्रस्तावित स्थल अकबरपुर फैजाबाद रोड पर अकबरपुर से 9 किमी० की दूरी पर ग्राम प्रतापपुर चमुर्खा, तहसील—अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में स्थित है।
- 2— रोड वाइडिनिंग को मिलाकर पहुँच मार्ग पर्याप्त है।
- 3— प्रस्तावित स्थल के ऊपर से हाइटेंशन लाइन नहीं गयी है।
- 4— एच.पी.सी. की प्रस्तावित एसिया 35x35 मीटर है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था :

- 1— ABC टाइप फायर एग्स्टंग्यूशर 9 किग्रा. क्षमता के प्रत्येक फ्यूल मशीन पर दो—दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
- 2— जनरेटर रूम पर 4.5 किग्रा. क्षमता का CO₂ फायर एग्स्टंग्यूशर दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
- 3— सैण्ड बकेट प्रति यूनिट दो—दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
- 4— धूप्रपान निषेध तथा आपातकालीन टेलीफोन नम्बर पटिटका व्यवस्थित की जायेगी तथा डीलर रूम में धूप्रपान निषेध बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।
- 5— प्रत्येक लुब्रीकेंट स्टोर में 9 किग्रा. क्षमता का ABC टाइप—1 अदद तथा CO₂ टाइप 4.5 किग्रा. का एक अदद फायर एग्स्टंग्यूशर लगाया जायेगा।
- 6— मानचित्र पर अंकित क्रम संख्या—1 से 11 व क्रम संख्या—1 से 11 तक बिन्दुओं को समायोजित करते हुए पालन किया जायेगा।
- 7— बाउण्डीवाल का निर्माण अग्नि प्रतिरोधक मैटोरियल से कराया जायेगा, जिसकी ऊँचाई 6 फिट से कम नहीं होगी।
- 8— रिजर्व बालू टैंक की क्षमता 6x3x3 फिट का बनाया जायेगा।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जिसकी वैधता 1 वर्ष होगी। प्रतिष्ठान संचालन के पूर्व अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि अधिष्ठापित किये जाने वाले अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग/रिफ्लिंग फीस राजकीय कोष में जमा कराकर क्रियाशील रखना, ढाँचगत/अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के साथ—साथ पेट्रोलियम रूल्स 2002 में उल्लिखित मानकों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।


1-10-15

(महावीर प्रसाद)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
फैजाबाद।

प्रतिलिपि—अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर।